



छब्बीस-२ सचिवालय

विषय :- याचिका क्रमांक डब्ल्यू. पी. 8758/2015 की कमल सिंह-जोहान विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य।

मा. वित्त मंत्रीजी का विभाग

पंजी. क्रमांक - 479/2016/ई/चर

द्वारा - मा. उच्च न्यायालय  
खण्डपीठ - इन्दौर

— X —

कृपया किमाराधीन नोटिस का अवलोकन कीजिए।

मा. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर द्वारा याचिका क्रमांक W.P. 8758/2015 संबंधी नोटिस जारी कर प्रकरण में दिनांक 05.04.2016 तक जवाबदाता प्रस्तुत कराये जाने संबंधी निर्देश दिये गये हैं।

२।- याचिका कर्ता श्री कमल सिंह-जोहान द्वारा संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा इन्दौर द्वारा जारी कार्यलयीन आदेश दिनांक 14.09.2015 तथा संबंधित तृतीय समयमान संबंधी आदेश की कंडिका (रिमार्क) में उल्लेखित बिन्दु के लक्षित होकर माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त याचिका प्रस्तुत की गई है।  
याचिका में पत्रिकादियों के रूप में क्रमांक - 1 पर "प्रमुख सचिव म.प्र. शासन वित्त विभाग, मंत्रालय पल्लम नवन भोपाल" क्रमांक - 2 पर "आयुक्त



६६)  
०  
६६६६-२ सचिवालय

विषय :- याचिका क्रमांक ३८८५५, पी. ८७५८/२०१५-६६ कमल सिंह चौहान विरुद्ध नव्य प्रदेश शासन एवं अन्य।

• मा. वित्त मंत्री जी का विभाग

एन एन से :-

११२०/६६/६६  
०१/३/१६

कोष एवं लेखा, पर्यावरण भवन नेपाल " क्रमांक - ३ पर " संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा इंदौर " एवं क्रमांक - ५ पर " वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, इंदौर " को पुनर्निर्देशित किया गया है। प्रत्येक प्रकरण में शासन की ओर से वसूली करवाया जाना अनिवार्य है।

३/- विषयान्वित याचिका मा० उच्च न्यायालय एलपीठ इंदौर के समक्ष विचारार्थ है, अतः प्रकरण में प्रभारी अधिकारी के रूप में " संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा इंदौर " को नियुक्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।  
४. अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ

५/१०/१६  
२५.०२.१६

अ. अ. "क" अनुमोदनार्थ।

अवर सचिव

DS(S)

सचिव

२५/२  
२९/२

अ. अ. १६

DS(S) १/३

अ. अ. १६

५८८  
५/३  
२५.०२.१६

अ. अ. १६  
५/३



( संक्र - 16/9/2016/डी-चार )

3.


छब्बीस-२ सचिवालय

विषय :- याचिका क्रमांक ३६६५. पी. ८७५८/२०१५ अफ़मल  
रिंह-चौहान बिसह मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य

श. वि. मंत्री जी  
का विभाग

प्रतिपक्षसे :-

प्रतिपक्ष पर अनुमोदन उपरान्त प्रभारी अधिकारी की  
निम्नलिखित आदेश की व्यवस्था प्रतियां हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत

  
०५.३.१६

~~अ. अ.  
अवर सचिव  
५०७७  
०~~

~~५/३  
५/३  
५/३~~

जा. म. म.

P-22-23/C

आवक क्रमांक ६१०६६  
दिनांक ८/३/१६/वा.प.

( रुक - 16/9/2016 ई-पार )

उपवीस-२ सचिवालय

विषय :- याचिका क्रमांक ३७७५-पी. ४७५४/२०१३/७९३ मल  
सिंह गौडान विरुद्ध महय प्रदेश शासन एवं अन्य

अन्य विभाग

स्पष्ट से:-


प्रकरण में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति आदेश  
अंशहित किये जा चुके हैं. प्रकरण के संदर्भ में  
प्रतिरक्षण आदेश जारी करने हेतु जल्दी विधि  
विभाग को अंकित करना चाहेगी।

U.O. 100-54/2016  
11/3/16

~~अ. अ.~~

~~अवर सचिव~~

विधि विभाग



09.03.16





9/3/16

7530

११



**मध्यप्रदेश शासन**  
**वित्त विभाग**  
**मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल**  
**// आदेश //**

भोपाल, दिनांक 8/3/2016

क्रमांक : एफ-16/9/2016/ई/चार :- सिविल प्रक्रिया संहिता 1980 (1909) का अधिनियम संख्या क्रमांक (5) के आदेश सत्ताईस के नियम 1 एवं 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्रकरण याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.8758/2015 श्री कमल सिंह चौहान विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, इंदौर को मध्यप्रदेश शासन के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनाओं पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए तथा कार्य करने, आवेदन करने और उपसंज्ञात होने के लिए नियुक्त करते हैं। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरंत पश्चात् अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी नीति में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा :-

- (1) प्रभारी अधिकारी मामलों के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जांच करेगा जैसा कि आवश्यक हो और याचिका में उठाए गए समस्त बिन्दुओं पर पैरा अनुसार, उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए, जिससे कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रक्रम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट के रूप में निर्दिष्ट को जाएगी।
- (2) समस्त सुसंगत फाइलें, दस्तावेज, नियम, अधिसूचनाएं तथा आदेश एकत्रित करेगा।
- (3) वाद पत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिससे कि शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा।
- (4) शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करवाएगा।
- (5) उक्त रिपोर्ट सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।
- (6) प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज, पत्र भेजेगा :-
- (क) वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकार को एक रिपोर्ट।
- (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
- (ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची, जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना प्रस्तावित है और जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।
- (घ) मामले के विशुद्धीकरण के लिये आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां इसमें वाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये।
- (7) मामले की तैयार और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता को सहयोग करना और मामले उसके प्रक्रम और प्रगति में नियत किए गए कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना।
- (8) जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्टतया मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।
- (9) अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिए इस विभाग को भेजेगा।



/2/

- (10) यह देखना है कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट न हो।
- (11) जैसे ही उसे अपना स्थानांतर आदेश प्राप्त होता है वह अर्द्ध-शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात् भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा तब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाए।
- (12) प्रभारी अधिकारी मामले तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकटित/छूपी हुई नहीं रह जाए।
- (13) प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह जैसे ही वाद का विनिश्चय होता है, परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा, निर्णय की प्रति भी प्राप्त की जाए और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।
- (14) प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहां किसी वाद में प्रक्रम में पारित किये गये किसी भी अंतरित आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है, समय पर कार्यवाही की गई है, अतएव वह इस आदेश की प्रति जैसे ही पारित किया जाए विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ (प्रशासकीय विभाग) को अग्रेषित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( श्रीखला संगीने )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

भोपाल, दिनांक 8/3/2016

पृष्ठांकन क्रं एफ-16/9/2016/ई/चार

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि विधायी कार्य विभाग, भोपाल।
2. उप रजिस्ट्रार, माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर।
3. उप महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर।
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी सह आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, इंदौर (म.प्र.) एवं प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित/निर्देशित किया जाता है कि शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने और उपस्थित प्रमाण पत्र प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा अपनी प्रत्येक भेट (विजिट) शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिए सल्लाह करने एवं मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ उसके विभागाध्यक्ष को भेजने हेतु अग्रेषित। मामले की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को सदैव ही भेजी जानी चाहिए। वाद पत्र की एक-एक प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जाए।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

**BY. REGD. A.D. POST**

**IN THE High Court of Judicature at Jabalpur: Bench at Indore**

Process Id: 734/2016

WP/8758/2015

मध्य प्रदेश :  
विश्व विद्यालय (इ.स. 1971)  
पंजी क्रमांक 479.. (ई/बार...)  
दिनांक 24/2/16

Fixed for 05-04-2016

WP-DA-2

Respondent No. 1

For Adm f IR

From

Deputy Registrar,  
High Court of Judicature  
at Indore

To,

The State of MP Through Principal  
Secretary,  
Finance Department,  
Vallabh Bhawan, Bhopal,  
District- Bhopal (MADHYA PRADESH),

2064  
11-02-16

Indore 07-01-2016

Sub: Notice to Respondent No. 1 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. WP/ 8758/ 2015

Madam,

I am directed to inform you that one **Kamal Singh Chouhan** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. WP/8758/2015

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before **05-04-2016**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided ex parte.



(AFFIXED AT INDORE)

Your's faithfully

DEPUTY REGISTRAR